तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ता. में जारी हु
24.7.19		

गैर सायलान के अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब का अवसर बन्द किया गया।

हमने अभियोजन अधिकारी के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि गैर सायल सं. 5 की विनिर्माता कम्पनी के द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ का नमूना गैर सायल सं. 1 की दुकान से जांच हेतु परिवादी द्वारा मिलावटी होने के संदेह पर लिया गया। उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना जांच हेतु खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 13.05.2015 मे यह स्पष्ट अंकित किया हैं कि खाद्य पदार्थ को अवमानक स्तर होना पाया गया हैं तथा विवरण अंकित किया हैं कि नमूना पैकेट पर "Contains permitted synthetic food colours (INS 122) & added nature identical & artificial flavouring substance given on the label but the specific name or recognized international numerical identifications of synthetic colour and common name of artificial flavoring sub-stance used in the products not given on the label of sample. अपनी टिप्पणी मे इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अधीन बनाये गये खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) विनियम 2011 के अनुच्छेद 2.2.2.5(ii) का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 3(1)(ZF)(C)(i) के तहत अवमानक माना है जो इस प्रकार है– If the article contained in the package- (i) contains any artificial flavouring, colouring or chemical preservative and the package is without a declaratory label stating that fact or is not labelled in accordance with the requirments of this Act or regulations made thereunder or is in contravention thereof ; or गैर सायल के प्रतिष्ठान से लिये गये उक्त नमूना को अधिनियम के उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अवमानक माना गया हैं । इस संबंध मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) विनियम 2011 के अनुच्छेद 2.2.2.5(ii) का अवलोकन किया गया जो निम्न प्रकार है– (ii) Addition of colours and/or Flavours— (a) Extraneous addition of colouring matter to be mentioned on the label – Where an extraneous colouring matter has been added to any article of food, there shall be displayed one of the following statements in capital letters, just beneath the list of the ingredients on the label attached to any package of food so coloured, namely: CONTAINS PERMITTED NATURAL COLOUR(S) OR CONTAINS PERMITTED SYNTHETIC FOOD COLOUR(S) OR CONTAINS PERMITTED NATURAL AND SYNTHETIC FOOD COLOUR(S) Provided that where such a statement is displayed along with the name or INS no of the food colour, the colour used in the product need not be mentioned in the list of ingredients. इस प्रकार खाद्य विश्लेषक द्वारा अपने अभिमत मे दिया गया कथन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के उक्त विनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत इस प्रकरण के परिप्रेक्ष्य मे कतई लागू नहीं है तथा इससे अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघनकारी नहीं माना जा सकता हैं। इसके अलावा नमूना जांच रिपोर्ट में अवमानक होने बाबत कोई विवरण/आक्षेप अंकित किया नहीं किया हैं और न ही परिवाद मे उल्लिखित किया गया हैं। ऐसे मे प्रस्तुत परिवाद खारिज योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद सारहीन एवं विधिक प्रावधानों के विपरित होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 24.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Scanned by CamScanner